दैनिक भास्कर 6
जोधपुर . शुक्रवार. 19 अप्रैल, 2013

बालेसर में खान आवंटन मामले में यथास्थिति के मौखिक आदेश

जोधपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 1986 के नियमों में संशोधन बाबत 3 अप्रैल 2013 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करने के मौखिक आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय व न्यायधीश वीके माथुर ने यह आदेश प्रार्थी नारायण सिंह की ओर से राज्य सरकार द्वारा 3 अप्रैल 2013 को किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के तहत दिए। अदालत में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया तथा सरकारी अधिवक्ता आरके सोनी ने मौखिक रूप से ही कार्यवाही रोकने की अंडरटेकिंग दी। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। खंडपीठ में अधिवक्ता लेखराज मेहता व रमित मेहता ने कहा कि खान विभाग ने 4 सितंबर 2009 को बालेसर में खान आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी कर करीब एक लाख आवेदन प्राप्त किए। इन आवेदनों में से पारदर्शी तरीके से हाई पावर कमेटी के माध्यम से 180 आवेदकों के नाम लॉटरी से निकाले गए। जिनमें प्रार्थी भी शामिल था। प्रार्थी को 9 जनवरी 2013 को लेटर ऑफ इंटेंड भी जारी कर दिया। बाद में प्रार्थी ने खान विभाग के नाम से 5 हजार रुपए की एफडीआर जमा करवाने सहित अन्य शुल्क भी जमा करवा दिए। इसके बाद खान विभाग द्वारा प्रार्थी को खान का लाइसेंस दिया जाना था। इसी समय सरकार ने खान अधिनियम 1986 में संशोधन करते हुए 3 अप्रैल 2013 को अधिसूचना जारी कर दी तथा प्रार्थी सहित लॉटरी से चयनित सभी आवंटियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए।